(डी)-72रजिस्ट्री सं०डी-

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 1974/वैशाख 31, 1896

No. 228] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 1974/VAISAKHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
24 JUN 1974
of India

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1974

S.O. **305(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974.

(2) They shall come into force at once.

2. **Interpretation.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952;

(b) "article" means an article of the Constitution of India;

(c) "Form" means a Form appended to these Rules;

(d) "section" means a section of the Act.

(2) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.

CHAPTER II

Nomination of candidates

3. **Public notice of intended election.**—The public notice of an intended election referred to in section 5 shall be in Form 1 and shall be published by the Returning Officer by such means, in such language or languages and in such places as the Election Commission may direct.

4. **Nomination paper.**—Every nomination paper presented under sub-section (1) of section 5B shall be completed in Form 2 or Form 3, as may be appropriate.

5. **Notice of withdrawal of candidature.**—(1) A notice of withdrawal of candidature under sub-section (1) of section 6 shall be in Form 4.

(2) On receipt of such notice, the Returning Officer shall note thereon the date on which and the hour at which it was delivered, and cause a copy thereof, together with the note, to be affixed in some conspicuous place in his office.

6. **Preparation and publication of the list of contesting candidates.**—In every case in which a poll is to be taken under clause (b) of section 8, the Returning Officer shall, immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under sub-section (1) of section 6—

(a) prepare in Form 5 a list of contesting candidates (that is to say, candidates who have been duly nominated but have not withdrawn their candidatures within the time specified in that behalf), containing the names in alphabetical order as given in the nomination papers together with their addresses;

(b) cause the list to be published in the Gazette of India and in such other manner as the Election Commission may direct; and

(c) cause a copy of the list to be affixed in some conspicuous place in his office.

CHAPTER III

The Poll

7. **Fixing place and time of polling for Presidential election.**—At every Presidential election where a poll is to be taken, the Election Commission shall—

(a) fix a place of polling in the Parliament House in New Delhi, and also in the premises in each State in which the Legislative Assembly, if any, of that State meets for the transaction of business;

(b) specify with reference to each such place of polling the group of electors who will be entitled to vote. and the hours during which the poll will be taken, at such place; and

(c) give due publicity to the places so fixed and the groups of electors and the hours so specified.

8. **Fixing place and time of polling for Vice-Presidential Election.**—At every Vice-Presidential election where a poll is to be taken, the Election Commission shall—

(a) fix a place of polling in the Parliament House in New Delhi;

(b) specify the hours during which the poll will be taken; and

(c) give due publicity to the place so fixed and the hours so specified.

9. **Presiding and polling officers.**—(1) The Returning Officer or such Assistant Returning Officer as may be specified in this behalf by the Election Commission shall conduct the poll at each place of polling. Every such officer is hereinafter referred to as the presiding officer.

(2) The presiding officer may appoint such polling officer or officers as he thinks necessary to assist him in taking the poll, but he shall not so appoint any person who has been employed by, or on behalf of, or has been working for, a candidate in or about the election.

10. **Design and Form of ballot papers.**—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto and the said ballot paper and the counterfoil shall

be in such form, and the particulars therein shall be in such language or languages, as the Election Commission may direct.

(2) The names of the candidates shall be printed on the ballot paper in the same order as in the list of contesting candidates published under rule 6.

(3) Every presiding officer shall be supplied with a sufficient number of ballot papers by the Election Commission.

11. **Ballot boxes.**—Every ballot box used at the poll shall be of a design previously approved by the Election Commission.

12. **Procedure before the commencement of poll.**—(1) The presiding officer shall, immediately before the commencement of the poll, allow inspection of the ballot box to be used at the poll to such candidates and authorised representatives of candidates as may be present at the place of polling.

(2) The presiding officer shall then secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open, and shall also allow such candidates and authorised representatives of candidates as may be present to affix their own seals, if they so desire.

13. **Admission to the place of polling.**—(1) The presiding officer shall exclude from the place of polling all persons except—

(a) the polling officers and other public servants on duty;

(b) the candidates, and one representative authorised in writing by each candidate;

(c) the electors;

(d) persons authorised by the Election Commission; and

(e) such other persons as the presiding officer may from time to time admit for the purpose of assisting him in taking the poll

(2) The presiding officer shall close the place of polling at the hour fixed under clause (b) of rule 7 or, as the case may be, under clause (b) of rule 8 for the close of the poll and shall not admit therein any elector after that hour:

Provided that all electors present at the place before it is so closed shall be entitled to have their votes recorded.

14. **Procedure for giving ballot papers.**—(1) The polling officer shall be furnished with an authentic list or part thereof of the electors entitled to vote at the palce of polling.

(2) Immediately before a ballot paper is delivered to an elector, a mark shall be placed against his name in that list, and the number of the elector as shown in that list shall be entered on the counterfoil of the ballot paper.

(3) The elector shall sign his name in the list in token of receipt of the ballot paper, whereupon, but not earlier, the ballot paper shall be delivered to him.

15. **Supply of fresh ballot paper in certain circumstances.**—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on delivering it to the presiding officer and on satisfying him of the inadvertence, obtain another ballot paper in place of the ballot paper so delivered, and the latter shall, together with its counterfoil, be marked as cancelled by the presiding officer.

(2) Any ballot papers so cancelled shall be kept in a separate envelope set apart for the purpose.

16. **Return of unused ballot papers by electors.**—If an elector after obtaining any ballot paper for the purpose of recording his vote decides not to use the same, he shall return the ballot paper to the presiding officer, who shall mark it 'Returned and cancelled' and keep it in a separate envelope set apart for the purpose.

17. **Manner of recording votes.**—(1) Every elector shall have as many preferences as there are candidates but no ballot paper shall be considered invalid solely on the ground that all such preferences are not marked.

(2) An elector in giving his vote—

(a) shall place on his ballot paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate whom he chooses for his first preference; and

(b) may, in addition, mark as many subsequent preferences as he wishes by placing on his ballot paper the figures 2, 3, 4 and so on, in the spaces opposite the names of other candidates, in order of preference.

Explanation.—The figures referred to in clauses (a) and (b) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language but shall not be indicated in words.

(3) The presiding officer shall, if requested by an elector, explain to him the instructions contained on the ballot paper for the recording of votes.

18. **Maintenance of secrecy of voting by electors within place of polling and voting procedure.**—(1) Every elector to whom a ballot paper has been delivered under rule 14 shall maintain secrecy of voting within the place of polling and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) An elector on receiving the ballot paper shall forthwith—

(a) proceed to one of the voting compartments;

(b) record his vote in accordance with sub-rule (2) of rule 17;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

(d) insert the folded ballot paper into the ballot box; and

(e) quit the place of polling.

(3) Every elector shall vote without undue delay.

(4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.

19. **Recording of votes of illiterate or disabled elector.**—(1) If an elector is unable to read the ballot paper or to record his vote thereon in accordance with rule 17 by reason of illiteracy or blindness or, by not being conversant with the language in which the ballot papers are printed or, by reason of any physical or other disability, the presiding officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector.

(2) The elector shall then himself or with the assistance of the presiding officer fold up the ballot paper so as to conceal his vote and insert it into the ballot box.

(3) While acting under this rule, the presiding officer shall observe as much secrecy as is feasible and shall keep a brief record of each such instance but shall not indicate therein the manner in which any vote has been cast.

20. **Account of ballot papers.**—(1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in Form 6 and enclose it in a separate cover with the words "Ballot Paper Account" superscribed thereon.

(2) The presiding officer shall permit the authorised representative of a candidate, who so desires, to take a true copy of the entries in the ballot paper account and shall attest it as true copy.

21. **Sealing up of ballot boxes and papers after the close of poll.**—(1) As soon as practicable after the close of poll the presiding officer shall, in the presence of such candidates and authorised representatives of candidates as may be present, close and seal up the slit as well as the ballot box.

(2) He shall also make up into separate packets—

(a) the copy of the list of electors marked in accordance with rule 14;

(b) the counterfoils of ballot papers;

(c) the ballot papers cancelled under rules 15 and 16; and

(d) the unused ballot papers,

and seal each such packet with his own seal and the seals of those candidates and authorised representatives of candidates who may desire to affix their seal thereon.

22. **Transfer of ballot papers from ballot boxes in certain cases.**—(1) Notwithstanding anything contained in rule 21, the Election Commission may, at a Presidential election, direct the presiding officer at any place of polling other than the Parliament House in New Delhi to follow after the close of the poll the procedure laid down in this rule instead of the procedure laid down in sub-rule (1) of rule 21.

(2) Where a direction has been issued under sub-rule (1), the presiding officer shall, as soon as practicable after the close of the poll, open the ballot box in the presence of such candidates and authorised representatives of candidates as may be present and transfer all the ballot papers contained in it without examining or counting them into a separate cover and record on such cover—

(a) the name of the place of polling; and

(b) the date of the poll.

(3) After such transfer he shall allow the candidates and their authorised representatives who may be present, to inspect the ballot box and demonstrate to them that it is empty.

(4) He shall then seal the cover with his own seal and the seals of those candidates and authorised representatives of candidates who may desire to affix their seals thereon.

(5) The cover so sealed shall, for the purposes of rules 23, 25, 32 and 33, be deemed to be the ballot box used at that place of polling and the provisions of those rules shall apply accordingly.

23. **Despatch and custody of ballot boxes and papers.**—(1) At a Presidential election, the presiding officer at every place of polling other than the Parliament House in New Delhi shall forthwith cause the sealed ballot box and packets and all other papers used at the poll to be sent to the Returning Officer in accordance with such general or special instructions as may be issued in that behalf by the Election Commission.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe custody of all sealed ballot boxes and packets and other papers used at the poll, until the commencement of the counting of votes.

24. **Adjournment of poll in emergencies.**—(1) If the proceedings at any place of polling are interrupted or obstructed by riot or open violence, or if it is not possible to take the poll at any such place on account of a natural calamity or other sufficient cause, the presiding officer shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later, and immediately report the circumstances to the Election Commission and, unless he is the Returning Officer, also to the Returning Officer.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1), the Election Commission shall, as soon as may be, fix the day on which, the place at which, and the hours during which the adjourned poll shall be taken, and shall notify the said details to all concerned in such manner as it may think fit.

(3) On the date on which such adjourned poll is taken, the electors who have already voted at the poll before its adjournment will not be entitled to vote, but only the remaining electors who were entitled to vote at the place of polling before its adjournment may vote.

25. **Fresh poll in case of destruction, etc., of ballot boxes.**—(1) If at an election, any ballot box is unlawfully taken away from the custody of the presiding officer or the Returning Officer or is in any way tampered with, destroyed or lost, the poll taken at the place of polling where that ballot box was used shall be deemed to have been vitiated; and the Returning Officer shall, as soon as practicable, report the matter to the Election Commission, which shall appoint a day for the taking of a fresh poll at that place and fix the hours during which it will be taken.

(2) In every such case as aforesaid, the provisions of these rules shall apply to the fresh poll as they apply to the original poll.

26. **Voting by electors under preventive detention.**—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, an elector may, if he is subjected to preventive detention under any law for the time being in force, give his vote by postal ballot.

(2) The Election Commission shall send by registered post to the officer-in-charge of the jail or other place where the elector is detained the appropriate ballot paper, together with a form of declaration of identity and attestation of signature and necessary envelopes specially prepared for the purpose and a letter of instructions, so as to reach that officer in good time before the date fixed for polling.

(3) On the date of polling the said officer shall deliver the ballot paper and other necessary papers to the elector, allow him all reasonable facilities and sufficient time, not exceeding two hours, for recording his vote in accordance with the instructions of the Election Commission, and if and when the elector has so recorded his vote, send the ballot paper and other connected papers in a sealed cover, either by registered post or through a special messenger, to the Returning Officer so as to reach him before the time fixed for the counting of votes under rule 27.

(4) It shall be the duty of every Government to intimate to the Election Commission at the appropriate time the names of electors, if any, who are subjected to preventive detention by or under the authority of that Government, together with the necessary particulars as to their places of detention

CHAPTER IV

Counting of votes and declaration of results

27. **Place and time for counting of votes.**—The counting of votes shall take place at the office of the Returning Officer in New Delhi on such day and at such time as the Election Commission may appoint in this behalf; and the Election Commission shall give notice to all the candidates of the date and time so appointed.

28. **Admission to the place fixed for counting.**—The Returning Officer shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except—

(a) such persons as he may appoint to assist him in the counting;

(b) the candidates and one representative at a time authorised in writing by each candidate;

(c) public servants on duty in connection with the election; and

(d) persons authorised by the Election Commission.

29. **Maintenance of secrecy of voting.**—Before the counting begins, the Returning Officer shall read out the provisions of section 22 to the persons present.

30. **Statement showing the number of votes of each elector at the Presidential election.**—For the purposes of every Presidential election, the Election Commission shall furnish the Returning Officer with a statement showing the number of votes which every elector has under the provisions of clause (2) of article 55; and every ballot paper put in by an elector at that election shall be deemed to represent as many votes as that elector is shown as having in that statement.

31. **Ballot papers when invalid.**—(1) A ballot paper shall be invalid on which—

(a) the figure 1 is not marked; or

(b) the figure 1 is marked opposite the name of more than one candidate or is so marked as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply; or

(c) the figure 1 and some other figure are marked opposite the name of the same candidate; or

(d) any mark is made by which the elector may afterwards be identified.

Explanation.—The figures referred to in clauses (a), (b) and (c) of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in the Roman form or in the form used in any Indian language, but shall not be indicated in words.

(2) A ballot paper shall also be invalid if, being a postal ballot paper, the signature of the elector is not duly attested.

32. **Procedure upon opening each ballot box.**—After each ballot box and also each sealed cover (if any) received under sub-rule (3) of rule 26, has been opened, the Returning Officer shall—

(a) count the number of ballot papers taken out therefrom and complete Part II of the Ballot Paper Account in Form 6;

(b) scrutinise the ballot papers and separate those which in his opinion are valid from those which in his opinion are invalid, endorsing on the latter the word 'rejected' and the ground of rejection; and

(c) arrange all the valid ballot papers in parcels according to the first preferences recorded for each candidate:

Provided that if, at a Presidential election, the ballot box used at a place of polling contains ballot papers of electors who, at their request are specially permitted by the Election Commission in pursuance of rule 7 to cast their votes at the said place of polling, such ballot papers shall, after the counting and recording in Form 6 is completed, be separated and added to the other ballot papers of the same kind used by electors in the same category and shall thereafter be scrutinised.

33. **Determination of result.**—After all the ballot boxes and sealed covers (if any) have been opened and the ballot papers have been scrutinised and arranged, the Returning Officer shall proceed to determine the result of the voting in accordance with the instructions contained in the Schedule to these rules.

34. **Recounting.**—The Returning Officer may, either on his own initiative or at the instance of any candidate or of the authorised representative of a candidate in the absence of that candidate, recount votes, whether once or more than once, when the Returning Officer is not satisfied as to the accuracy of a previous count:

Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Returning Officer to recount the same votes more than once.

35. **Declaration of result.**—(1) When the counting is complete and the result of the voting has been determined, the Returning Officer shall forthwith—

(a) announce the result to those present;

(b) report the result to the Central Government and the Election Commission under section 12;

(c) prepare and certify a return of the election in Form 7; and

(d) seal up in separate packets the valid ballot papers and the rejected ballot papers and record on each such packet a description of its contents.

(2) The Returning Officer shall, as soon as may be thereafter, forward the certified return to the Election Commission.

CHAPTER V

Miscellaneous

36. **Custody of ballot boxes and election papers.**—All ballot boxes used at the election and the packets of ballot papers and all other papers relating to the election shall, after the election, be kept in such custody as the Election Commission may direct.

37. **Production and inspection of election papers.**—(1) The packets of ballot papers, whether valid or rejected, and their counterfoils and the packets containing the lists of electors marked in accordance with rule 14 shall not be opened, nor shall their contents be inspected by, or produced before, any person or authority, except under the order of the Supreme Court or other competent court.

(2) All other papers relating to the election shall be open to public inspection subject to such conditions and to the payment of such fee, if any, as the Election Commission may direct.

38. **Disposal of election papers.**—The packets and other papers referred to in rule 37 shall be retained for a period of two years from the date of declaration of the result of the election, and shall thereafter be destroyed unless a direction

to the contrary is given by the Supreme Court or other competent court or by the Election Commission.

39. **Copies of return of election.**—Copies of the certified return of the election referred to in rule 35 shall be furnished by the Election Commission on payment of a fee of one rupee per copy.

40. **List of electors.**—The Election Commission shall maintain a list of members of the electoral college referred to in article 54 and a list of members of the electoral college referred to in article 66, with their addresses corrected up to date for the purposes, respectively, of Presidential election and Vice-Presidential election.

41. **Repeal.**—The Presidential and Vice-Presidential Election Rules, 1952 are hereby repealed.

FORM 1

(*See* rule 3)

PUBLIC NOTICE

OF

ELECTION TO THE OFFICE OF $\frac{\text{*PRESIDENT}}{\text{*VICE-PRESIDENT}}$ OF INDIA

Whereas a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of President/Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, ... the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in New Delhi, or if he is unavoidably absent, to at the said office between 11 a.m. and 3 p.m. on any day (other than a public holiday) not later than the;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees two thousand five hundred only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at (place) on (date) at (hours);

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of (date);

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on (date) between hours of and at the places of polling fixed under the rules.

PLACE.....

Dated the

(Signature)

(Returning Officer)

(Designation)

*Strike off if inapplicable.

FORM 2

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF INDIA

We hereby nominate as a candidate
(Full name and address of the candidate)
for election to the office of the President of India.

We have verified, and do hereby declare, that the said candidate has completed the age of 35 years and is registered in the electoral roll for the Parliamentary constituency of..... in the State of.....

A certified copy of the entry in that electoral roll relating to the said candidate is attached.

We further declare that we are members of the electoral college referred to in article 54 of the Constitution being elected members of the House of the People or Council of States or the Legislative Assembly as indicated hereunder and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination:—

Particulars of the proposers and their signatures

Sl. No.	Full name	Whether elected member of the House of the People/Council of States/Legislative Assembly	State/Union territory (in the case of member elected to the House of the People or Council of States from a Union territory) in/from which elected.	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
*etc.					

*There should be at least ten electors as proposers.

Particulars of the seconders and their signatures

Sl. No.	Full name	Whether elected member of the House of the People/Council of States/Legislative Assembly	State/Union territory (in the case of member elected to the House of the People or Council of States from a Union territory) in/from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
*etc.					

*There should be at least ten electors as seconders.

I assent to this nomination.

Signature of candidate

Date.....

(To be filled by the Returning Officer)

Serial Number of nomination paper

This nomination paper was delivered to me at my office at(hour) on.....

(date) by the candidate/proposer..... (name)/seconder.....

.....(name) with enclosures as indicated below purporting to be—

(1)

(2)

.....

Date Returning Officer

[Decision of the Returning Officer (if any) under sub-section (4) of section 5B

I have rejected this nomination paper under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below:—

.....

Date..... Returning Officer]

[] Score out if not applicable.

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 5E of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and decide as follows:—

.....

Date..... Returning Officer

(Perforation).....

Receipt for nomination paper and notice of scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of the nomination paper.....

The nomination paper of.....(name), a candidate for election to the office of the President of India, was delivered to me at my office at.....(hour) on.....(date) by the candidate/proposer.....(name)/ seconder.....(name).

All nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, will be taken up for scrutiny at..... (hour) on.....(date) at.....(place).

[2. The nomination paper of this candidate has been rejected by me under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 for the reasons given below :—]

.....

Date..... Returning Officer

FORM 3

(*See* rule 4)

NOMINATION PAPER

ELECTION TO THE OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Members of the electoral college referred to in article 66 of the Constitution being Members of Parliament hereby nominate.....
.....
(Full name and address of candidate)

as a candidate for election to the office of the Vice-President of India.

We have verified, and do hereby declare, that the said candidate has completed the age of 35 years and is registered in the electoral roll for the Parliamentary constituency of..... in the State of.....

A certified copy of the entry in that electoral roll relating to the said candidate is attached. We furnish our full particulars as indicated hereunder and append our signatures below in token of subscribing to this nomination.

[] Score out if not applicable.

Particulars of the proposers and their signatures

Sl. No.	Full name	Whether member of the House of the People/Council of States	State/Union territory from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
*etc.					

*There should be at least five electors as proposers.

Particulars of the seconders and their signatures

Sl. No.	Full name	Whether member of the House of the People/ Council of States	State/Union territory from which elected	Signature	Date
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
*etc.					

*There should be at least five electors as seconders.

I assent to this nomination.

.....

Signature of candidate

Date.....

(To be filled by the Returning Officer)

Serial Number of nomination paper..... This nomination was delivered to me at my office at(hour) on..... (date) by the candidate/proposer..... (name)/seconder.....(name) with enclosures as indicated below purporting to be—

(1)

(2)

.....

Date..... (Returning Officer)

[*Decision of the Returning Officer (if any) under sub-section (4) of section 5B*

I have rejected this nomination paper under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below :—

Date———— (Returning Officer)]

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 5E of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 and decide as follows :—

.....

Date..... Returning Officer.

(Perforation).....

Receipt for nomination paper and notice of scrutiny

(to be handed over to the person presenting the nomination paper).

Serial No. of the nomination paper.....

The nomination of (name), a candidate for election to the office of the Vice-President of India was delivered to me at my office at..... (hour) on.....(date) by the candidate/proposer(name)/Seconder(name).

All nomination papers other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, will be taken up for scrutiny at..... (hour) on(date) at..... place).

[2. The nomination paper of this candidate has been rejected by me under sub-section (4) of section 5B of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the reasons given below :—]

Date———— Returning Officer.

[] Score out if not applicable.

FORM 4

[*See* rule 5(1)]

NOTICE OF WITHDRAWAL

To

The Returning Officer for the Election to the office of President/Vice President of India.

I,..... (name) of (address) a candidate at the above-mentioned election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place.....
Date..... Signature of candidate.

NOTE :— The notice of withdrawal is required to be delivered under section 6(1) of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, by the candidate in person or by any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by such candidate.

FORM 5

(*See* rule 6)

ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT / VICE-PRESIDENT OF INDIA

List of Contesting Candidates

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate
1.		
2.		
3.		
4.		
etc.		

PLACE.....

Date..... Returning Officer.

FORM 6

(*See* rule 20)

PART I—BALLOT PAPER ACCOUNT

ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT / VICE-PRESIDENT OF INDIA.

Name of the place of polling

	Serial Numbers		Total Numbers
	from	to	
1. Ballot papers received.....			
2. Ballot papers unused.....			
3. Ballot papers issued to voters			
4. Ballot papers cancelled.....			

Date.....
Signature of Presiding Officer.

PART II—RESULT OF COUNTING

(*See* rule 32)

(1) Total number of ballot papers found in the ballot box (boxes) used at the place of polling.....

(2) Discrepancy if any between the total number as shown against item (1) in this Part and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I *minus* the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 of Part I.

Date.....
Signature of the Returning Officer.

FORM 7

[*See* rule 35(1)(c)]

RETURN OF ELECTION TO THE OFFICE OF THE PRESIDENT/VICE-PRESIDENT OF INDIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Serial No.	Name of Candidate	Votes secured at first count	Votes credited at first exclusion	Total of columns 3 and 4	Votes credited at second exclusion	Total of columns 5 and 6	Votes credited at third exclusion	Total of columns 7 and 8	Votes credited at fourth exclusion	Total of columns 9 and 10				
	Exhausted votes													
	TOTAL													

Total No. of valid ballot papers representing votes.

Total number of invalid ballot papers.....representing votes.

I declare that

(Name).....

(Address).....

has been duly elected to the office of the President/Vice-President of India.

PLACE.....

Date.....

Returning Officer.

THE SCHEDULE

(*See* rule 33)

Instructions for the determination of Result

1. In this Schedule—

(1) the expression "continuing candidate" means any candidate not elected and not excluded from the poll at any given time;

(2) the expression "first preference" means the figure 1 set opposite the name of any candidate, the expression "second preference" similarly means the figure 2. the expression "third preference" the figure 3, and so on;

(3) the expression "next available preference" means the second or subsequent preference recorded in consecutive numerical order for a continuing candidate, preferences for candidates already excluded being ignored;

(4) the expression "unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate;

(5) the expression "exhausted paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate, provided that a paper shall be deemed to be exhausted in any case in which—

(a) the names of two or more candidates whether continuing or not are marked with the same figure, and are next in order of preference; or

(b) the name of the candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked by a figure not following consecutively after some other figure on the ballot paper or by two or more figures.

2. Every ballot paper represents at each count—

(a) in a Presidential election, the number of votes as determined under rule 30; and

(b) in a Vice-Presidential election, one vote.

3. Ascertain the number of first preference votes secured by each candidate and credit him with that number.

4. Add up the numbers so credited to all the candidates, divide the total by two, and add one to the quotient disregarding any remainder. The resulting number is the quota sufficient to secure the return of a candidate at the election.

5. If at the end of the first or any subsequent count, the total number of votes credited to any candidate is equal to, or greater than, the quota, or there is only one continuing candidate, that candidate is declared elected.

6. If at the end of any count, no candidate can be declared elected,—

(a) exclude the candidate who up to that stage has been credited with the lowest number of votes;

(b) examine all the ballot papers in his parcel and sub-parcels, arrange the unexhausted papers in sub-parcels according to the next available preferences recorded thereon for the continuing candidates, count the number of votes in each such sub-parcel and credit it to the candidate for whom such preference is recorded, transfer the sub-parcel to that candidate, and make a separate sub-parcel of all the exhausted papers; and

(c) see whether any of the continuing candidates has, after such transfer and credit, secured the quota.

If, when a candidate has to be excluded under clause (a) above, two or more candidates have been credited with the same number of votes and stand lowest on the poll, exclude that candidate who had secured the lowest number of first preference votes, and if that number also was the same in the case of two or more candidates, decide by lot which of them shall be excluded.

All the sub-parcels of exhausted papers referred to in clause (b) above shall be set apart as finally dealt with and the votes recorded thereon shall not thereafter be taken into account.

[No. F. 7(10)/74-Leg.II]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 21 मई, 1974

का० आ० सं० 305(अ)—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. **निर्वचन**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 अभिप्रेत है;

(ख) "अनुच्छेद" से भारत के संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इन नियमों के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू है ।

अध्याय 2

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

3. **आशयित निर्वाचन की लोक सूचना**—आशयित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 5 में निर्दिष्ट है प्ररूप 1 में होगी और रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी भाषा या भाषाओं में और ऐसे स्थानों में प्रकाशित की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे[1] ।

4. **नामनिर्देशन-पत्र**—हर नामनिर्देशन-पत्र, जो धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में से जो उपयुक्त हो उसमें पूरा किया जाएगा ।

5. **अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना**—(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्ररूप 4 में होगी ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, वह परिदत्त की गई थी, लिखेगा और उस लेख सहित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

6. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन**—हर ऐसी दशा में, जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन मतदान होना है, रिटर्निंग आफिसर, उस अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्, जिसके भीतर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है :—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची (अर्थात् उन अभ्यर्थियों की सूची जिनका सम्यक् रूप से नामनिर्देशन किया गया है किन्तु जिन्होंने उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है) प्ररूप 5 में तैयार करेगा, जिसमें नामनिर्देशन-पत्रों में दिए गए रूप में वर्णक्रम से अभ्यर्थियों के नाम और उनके पते अन्तर्विष्ट होंगे ;

(ख) सूची को भारत के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में जैसी निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे, प्रकाशित कराएगा; और

(ग) सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

अध्याय 3
मतदान

7. **राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना**—हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग —

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में, और हर एक राज्य में उस परिसर में, जिसमें उस राज्य की विधान सभा का, यदि कोई हो, कामकाज के संचालन के लिए, अधिवेशन होता है, नियत करेगा ;

(ख) मतदान के हर एक ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से उन निर्वाचकों के समूह को, जो ऐसे स्थान पर मत देने के हकदार होंगे और उस समय को, जिसके दौरान ऐसे स्थान पर मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ग) ऐसे नियत स्थानों और ऐसे विनिर्दिष्ट निर्वाचकों के समूहों और समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

8. **उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना**—हर उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग —

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में नियत करेगा ;

(ख) उस समय को जिसके दौरान मतदान होगा विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(ग) ऐसे नियत स्थान और ऐसे विनिर्दिष्ट समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

9. **पीठासीन और मतदान आफिसर**—(1) रिटर्निंग आफिसर या ऐसा सहायक रिटर्निंग आफिसर, जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मतदान के हर एक स्थान पर मतदान का संचालन करेगा। हर ऐसे आफिसर को इसमें इसके पश्चात् पीठासीन आफिसर कहा गया है।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान आफिसर या आफिसरों को, जैसे वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस निर्वाचन में या उस निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित रह चुका है या उसके लिए काम करता रहा है, ऐसे नियुक्त नहीं करेगा।

10. **मतपत्र का परिकल्प और प्ररूप**—(1) प्रत्येक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में मुद्रित किए जाएंगे जिसमें वे नियम 6 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं ।

(3) हर पीठासीन आफिसर को निर्वाचन आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में मतपत्र दिए जाएंगे ।

11. **मतपेटियां**—मतदान में उपयोग में लाई जाने वाली हर मतपेटी निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित परिकल्प की होगी ।

12. **मतदान के प्रारम्भ से पूर्व प्रक्रिया**—(1) पीठासीन आफ़िसर, मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, किए जाने की अनुज्ञा देगा ।

(2) पीठासीन आफ़िसर तब पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्राबन्द करेगा कि मतपत्रों को उसमें घुसाने के लिए छेद खुला रहे और यदि ऐसे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों, ऐसा करने की वांछा करें, तो उन्हें अपनी मुद्रा भी उस पर लगाने की अनुज्ञा देगा ।

13. **मतदान के स्थान में प्रवेश**—(1) पीठासीन आफिसर—

(क) मतदान आफ़िसरों और अन्य कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;

(ख) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि के;

(ग) निर्वाचकों के;

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के; और

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए पीठासीन आफिसर समय-समय पर प्रवेश करने दे,

सिवाय, सब व्यक्तियों को मतदान के स्थान से अपवर्जित रखेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के स्थान को मतदान बन्द करने के लिए, यथास्थिति, नियम 7 के खण्ड (ख) के अधीन या नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु उस स्थान के ऐसे बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे ।

14. **मतपत्र देने के लिए प्रक्रिया**—(1) मतदान के स्थान पर मत देने के हकदार निर्वाचकों की अधिप्रमाणीकृत सूची या उसका भाग मतदान आफिसर को दी जाएगी या दिया जाएगा ।

(2) निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने के ठीक पूर्व उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न लगाया जाएगा, और उस सूची में यथादर्शित निर्वाचक के संख्यांक को मतपत्र के प्रतिपर्ण में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(3) निर्वाचक, सूची में अपना नाम मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप हस्ताक्षरित करेगा और तब, न कि उससे पूर्व, मतपत्र उसे परिदत्त किया जाएगा ।

15. **कुछ परिस्थितियों में नए मतपत्र का प्रदाय**—(1) वह निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र से अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन आफिसर को वह मतपत्र परिदत्त करके और अपनी अनवधानता के बारे में उस आफिसर का समाधान करके, ऐसे परिदत्त मतपत्र के स्थान में दूसरा मतपत्र अभिप्राप्त कर सकेगा और उसके प्रतिपर्ण सहित पूर्वकथित मतपत्र पर पीठासीन आफिसर "रद्द" शब्द अंकित करेगा ।

(2) ऐसे रद्द किए गए कोई मतपत्र इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफ़ाफे में रखे जाएंगे ।

16. **निर्वाचकों द्वारा उपयोग में न लाए गए मतपत्रों का लौटाया जाना**—यदि निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो वह पीठासीन आफिसर को मतपत्र लौटा देगा जो उस पर "लौटाया गया और रद्द" शब्द अंकित करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफ़ाफे में रखेगा ।

17. **मतों को अभिलिखित करने की रीति**—(1) हर निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होंगे जितने अभ्यर्थी हैं, किन्तु कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं ।

(2) निर्वाचक अपना मत देने में,—

(क) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगा देगा, और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र में दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों में अधिमान-क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान, जितने वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगा कर चिह्नित करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे ।

(3) पीठासीन आफिसर, उस दशा में, जिसमें कि उससे निर्वाचक ऐसी प्रार्थना करे, उस निर्वाचक को वे अनुदेश समझाएगा जो मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र में अन्तर्विष्ट हैं ।

18. **निर्वाचकों द्वारा मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया**—(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 14 के अधीन मतपत्र दिया गया है, मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा ;

(ख) नियम 17 के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेगा ;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(ङ) मतदान के स्थान से बाहर चला जाएगा ।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा ।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।

19. **निरक्षर या निःशक्त निर्वाचक के मतों का अभिलिखित किया जाना**—(1) यदि कोई निर्वाचक, निरक्षरता या अन्धेपन या, उस भाषा से, जिसमें मतपत्र मुद्रित है, अनभिज्ञ होने के कारण अथवा किसी शारीरिक या अन्य निःशक्तता के कारण मतपत्र पढ़ने या नियम 17 के अनुसार उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करेगा ।

(2) उसके बाद निर्वाचक मतपत्र को, या तो स्वयं या पीठासीन आफिसर की सहायता से इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डाल देगा ।

(3) इस नियम के अधीन कार्य करते समय पीठासीन आफिसर उतनी गोपनीयता बरतेगा जितनी सम्भव हो और प्रत्येक ऐसी घटना का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा, किन्तु उसमें वह रीति उपदर्शित नहीं करेगा जिससे कोई मत डाला गया है ।

20. **मतपत्रों का लेखा**—(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्र लेखा, प्ररूप 6 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उसके ऊपर "मतपत्र लेखा" शब्द लिखेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो ऐसी वांछा करे तो मतपत्र लेखा में की गई प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति कर लेने की अनुज्ञा देगा और यह अनुप्रमाणित करेगा कि वह शुद्ध प्रति है ।

21. **मतदान के बन्द होने के पश्चात् मतपेटियों और कागजपत्रों का मुद्राबन्द किया जाना**—(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में छेद तथा मतपेटी को बन्द और मुद्राबन्द करेगा ।

(2) वह—

(क) नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूची की प्रति को,

(ख) मतपत्रों की प्रतिपर्णियों को,

(ग) नियम 15 और 16 के अधीन रद्द किए गए मतपत्रों को, और

(घ) उपयोग में न लाए गए मतपत्रों को, पृथक्-पृथक् पैकेटों में बनाकर रखेगा और हर एक ऐसे पैकेट को अपनी निजी मुद्रा और उन अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित करेगा ।

22. **कुछ दशाओं में मतपेटियों से मतपत्रों का अन्तरण**—(1) निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न किसी मतदान के स्थान पर पीठासीन आफिसर को, नियम 21 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि वह आफिसर नियम 21 के उपनियम (1) में अधिकथित प्रक्रिया के बजाय इस नियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् करे।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन निदेश दिया गया हो वहां, पीठासीन आफिसर, मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में मतपेटी को खोलेगा और उसमें अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों की परीक्षा या गणना किए बिना उन्हें पृथक् लिफाफे में रखेगा और ऐसे लिफाफे पर—

(क) मतदान के स्थान का नाम, और

(ख) मतदान की तारीख,

अभिलिखित करेगा।

(3) ऐसे रखे जाने के पश्चात् वह अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो उपस्थित हों, मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें यह निदर्शित करेगा कि वह खाली है।

(4) वह तब लिफाफे को अपनी निजी मुद्रा और उन अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित करेगा।

(5) ऐसे मुद्राबन्द लिफाफे के बारे में नियम 23, 25, 32 और 33 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस मतदान के स्थान पर उपयोग में लाई गई मतपेटी है और उन नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

23. **मतपेटियों और कागजपत्रों का प्रेषण और अभिरक्षा**—(1) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न मतदान के हर स्थान का पीठासीन आफिसर, मतदान में उपयोग में लाई गई मुद्राबन्द मतपेटी और पैकेटों और अन्य सब कागजपत्रों को ऐसे साधारण और विशेष अनुदेशों के अनुसार, जो निर्वाचन आयोग द्वारा उस निमित्त निकाले जाएं, रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण भिजवाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और पैकेटों और अन्य कागजपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, मतों की गणना प्रारम्भ होने तक, करने के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा।

24. **आपात में मतदान का स्थगन**—(1) यदि मतदान के किसी स्थान में बल्वे या खुलेआम हिंसा से कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि किसी ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या अन्य पर्याप्त हेतु से मतदान होना संभव नहीं हो, तो पीठासीन आफिसर मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का आख्यापन करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और तत्क्षण परिस्थितियों की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और उस दशा में के सिवाय, जिसमें कि वह रिटर्निंग आफिसर है, रिटर्निंग आफिसर को भी करेगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाता है तब, निर्वाचन आयोग यथाशक्य शीघ्र वह दिन जिसको, वह स्थान, जिसमें और वह समय जिसके दौरान, स्थगित मतदान होगा, नियत करेगा और सब सम्पृक्त व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे,

उक्त ब्यौरे अधिसूचित करेगा ।

(3) उस तारीख को, जिसको ऐसा स्थगित मतदान होता है, वह निर्वाचक, जो मतदान के स्थगन से पूर्व अपना मत दे चुके हैं, मत देने के लिए हकदार नहीं होंगे, किन्तु केवल वे शेष निर्वाचक, जो मतदान के स्थगन से पूर्व मतदान के स्थान पर मत देने के हकदार थे, मत दे सकेंगे ।

25. **मतपेटियों के विनाश आदि की दशा में नया मतदान**—(1) यदि निर्वाचन में कोई मतपेटी पीठासीन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से विधिविरुद्धतया निकाल ली जाती है या किसी प्रकार उसमें गड़बड़ कर दी जाती है या विनष्ट कर दी या खो जाती है, तो उस मतदान के स्थान पर किए गए मतदान के बारे में, जहां वह मतपेटी उपयोग में लाई गई थी, यह समझा जाएगा कि वह दूषित हुआ है; और रिटर्निंग आफिसर यथासाध्य शीघ्रता से निर्वाचन आयोग को उस मामले की रिपोर्ट करेगा जो उस स्थान पर नया मतदान करने के लिए दिन नियत करेगा और वह समय नियत करेगा जिसके दौरान मतदान होगा ।

(2) यथापूर्वोक्त हर दशा में इन नियमों के उपबन्ध नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू होते हैं ।

26. **निवारक निरोध के अधीन निर्वाचकों द्वारा मतदान**—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्वाचक किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन किया गया हो, तो वह अपना मत डाक-मतपत्र द्वारा दे सकेगा।

(2) निर्वाचन आयोग उस जेल या अन्य स्थान के, जहां ऐसा निर्वाचक निरुद्ध है, भारसाधक आफिसर को समुचित मतपत्र को, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन का प्रारूप, तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवश्यक लिफाफों और एक अनुदेशपत्र के साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा जिससे कि वे मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व यथोचित समय पर उस आफिसर के पास पहुंच जाएं।

(3) मतदान की तारीख को उक्त आफिसर वह मतपत्र और अन्य आवश्यक कागजपत्र निर्वाचक को परिदत्त करेगा, उसे निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करने के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं और दो घंटे से अनधिक पर्याप्त समय अनुज्ञात करेगा तथा यदि और जब निर्वाचक ने अपना मत वैसे अभिलिखित कर दिया हो तो और तब, मतपत्र और अन्य सम्बन्धित कागजपत्रों को मुद्राबन्द लिफाफे में या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष सन्देशवाहक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि वे नियम 27 के अधीन मतों की गणना के लिए नियत समय से पूर्व उसके पास पहुंच जाएं।

(4) हर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि यदि कोई निर्वाचक उस सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निवारक निरोध में रखा गया है, तो वह उनके नामों की सूचना, उनके निरोध के स्थानों के बारे में आवश्यक विशिष्टियों सहित, समुचित समय पर निर्वाचन आयोग को दे ।

अध्याय 4

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

27. **मतों की गणना के लिए स्थान और समय**—मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में ऐसे दिन और ऐसे समय पर की जाएगी, जो निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, और निर्वाचन आयोग ऐसे नियत तारीख और समय की सूचना सब अभ्यर्थियों को देगा।

28. **गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश**—रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना के लिए नियत स्थान में से,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे ;

(ख) अभ्यर्थियों के और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक समय पर एक प्रतिनिधि के ;

(ग) निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ; और

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,

सिवाय किसी व्यक्ति को वहां नहीं रहने देगा।

29. **मतदान की गोपनीयता बनाए रखना**—रिटर्निंग आफिसर उपस्थित व्यक्तियों को धारा 22 के उपबन्ध गणना प्रारम्भ होने से पूर्व पढ़कर सुनाएगा।

30. **राष्ट्रपतीय निर्वाचन में हर एक निर्वाचक के मतों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण**—हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर को एक विवरण देगा जिसमें मतों की वह संख्या दर्शित होगी जो अनुच्छेद 55 के खंड (2) के उपबन्धों के अधीन हर निर्वाचक की है, और उस निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा दिए गए हर मतपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उतने मतों का प्रतिनिधित्व करता है जितनों के बारे में उस विवरण में यह दर्शित है कि वे उस निर्वाचक के हैं।

31. **मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे**—(1) वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर—

(क) अंक 1 चिह्नित नहीं है ; अथवा

(ख) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित है या ऐसे चिह्नित है कि उसने यह बात शंकापूर्ण हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए आशयित है ; अथवा

(ग) अंक 1 और कोई अन्य अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित है ; अथवा

(घ) कोई ऐसा चिह्न लगा हुआ है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(2) मतपत्र उस दशा में भी अविधिमान्य होगा जिसमें डाक-मतपत्र होते हुए उस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित नहीं है।

32. **हर एक मतपेटी के खोले जाने पर प्रक्रिया**— हर एक मतपेटी के और नियम 26 के उपनियम (3) के अधीन प्राप्त हर एक मुद्राबन्द लिफाफे के (यदि कोई हो) भी खोले जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर,—

(क) उसमें से निकाले गए मतपत्रों की गणना करेगा और प्ररूप 6 में मतपत्र लेखा के भाग 2 को पूरा करेगा;

(ख) मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उनको, जो उसकी राय में विधिमान्य हैं, उनसे पृथक् करेगा जो उसकी राय में अविधिमान्य हैं और पश्चात्कथित मतपत्रों पर "नामंजूर" शब्द और नामंजूरी का आधार पृष्ठांकित करेगा; और

(ग) सब विधिमान्य मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा:

परन्तु यदि राष्ट्रपतीय निर्वाचन में किसी मतदान के स्थान में प्रयुक्त मतपेटी में ऐसे निर्वाचकों के मतपत्र हैं जिन्हें उनके अपने निवेदन पर उक्त मतदान के स्थान में मत डालने के लिए नियम 7 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई है, तो ऐसे मतपत्र, गणना और प्ररूप 6 में अभिलेखन के पश्चात्, पृथक् कर लिए जाएंगे और एक ही प्रवर्ग के निर्वाचकों द्वारा प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य मतपत्रों के साथ मिला लिए जाएंगे और उसके पश्चात् उनकी संवीक्षा की जाएगी।

33. **परिणाम का अवधारण**—सब मतपेटियों और मुद्रांकित लिफाफों के (यदि कोई हों) खोले जाने और मतपत्रों की संवीक्षा और उनके क्रमबद्ध किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर इन नियमों में की अनुसूची में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार मतदान के परिणाम का अवधारण करने के लिए कार्रवाई करेगा।

34. **पुनर्गणना**—जब रिटर्निंग आफिसर का किसी पूर्वतन गणना की शुद्धता के बारे में समाधान न हो, तब रिटर्निंग आफिसर मतों की पुनर्गणना या तो एक बार, या एक से अधिक बार, या तो स्वप्रेरणा से या किसी अभ्यर्थी के या उस अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में उस अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के आवेदन पर कर सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से रिटर्निंग आफिसर के लिए यह बाध्यकर न हो जाएगा कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार करे ।

35. **परिणाम की घोषणा**—(1) जब गणना समाप्त हो जाए और मतदान के परिणाम का अवधारण कर लिया जाए, तब, रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण—

(क) उपस्थित व्यक्तियों को परिणाम बताएगा;

(ख) धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा ;

(ग) प्ररूप 7 में निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा; और

(घ) विधिमान्य मतपत्रों और नामंजूर मतपत्रों को पृथक्-पृथक् पैकेटों में मुद्राबन्द करेगा और हर एक ऐसे पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन अभिलिखित करेगा ।

(2) रिटर्निंग आफ़िसर तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग को प्रमाणित परिणाम की विवरणी प्रेषित करेगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

36. **मतपेटियों और निर्वाचन कागजपत्रों की अभिरक्षा**—निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और मतपत्रों के पैकेट और निर्वाचन से सम्बद्ध सब अन्य कागजपत्र निर्वाचन के पश्चात् ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ।

37. **निर्वाचन कागजपत्रों का पेश करना और निरीक्षण**—(1) मतपत्रों के, चाहे वे मतपत्र विधिमान्य हों या नामंजूर हों, और उनके प्रतिपर्णों के पैकेट और नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूचियों के पैकेट, उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन खोले जाने के सिवाय, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जाएंगे और न उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न उसके समक्ष पेश किए जाएंगे ।

(2) निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सब कागजपत्र ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस, यदि कोई हो, दिए जाने पर, जैसी निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे, जनता के निरीक्षण के लिए खुले होंगे ।

38. **निर्वाचन कागजपत्रों का व्ययन**—नियम 37 में निर्दिष्ट पैकेट और अन्य कागजपत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उस दशा के सिवाय विनष्ट कर दिए जाएंगे जिसमें कि उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल निदेश दिया गया हो ।

39. **निर्वाचन परिणाम की विवरणी की प्रतियां**—नियम 35 में निर्दिष्ट निर्वाचन परिणाम की प्रमाणित विवरणी की प्रतियां हर प्रति के लिए एक रुपया फीस के संदाय पर निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी ।

40. **निर्वाचकों की सूची**—निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए क्रमशः अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची और अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धकृत पतों सहित, बनाए रखेगा ।

41. **निरसन**—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1952 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

भारत के *राष्ट्रपति/*उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

यतः भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर मैं,..... सूचना देता हूं कि—

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र मुझे.....नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिहार्यतः अनुपस्थित हो, तो.....को उक्त कार्यालय में के अनुपरान्त (लोक अवकाशदिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच दिए जा सकेंगे;

(ii) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र के साथ, उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(iii) हर एक अभ्यर्थी केवल दो हजार पांच सौ रुपए की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा । यह रकम नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफ़िसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा ;

(iv) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.....(स्थान) में..... (तारीख) को.....(बजे) की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में.....(तारीख) को तीन बजे अपराह्न से पहले दी जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थानों में.....(तारीख) को.....बजे और.....बजे के बीच होगा ।

स्थान..... (हस्ताक्षर)

तारीख..... (रिटर्निंग आफ़िसर)

(पदाभिधान).....

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में
.....को नामनिर्देशित करते हैं ।

(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)

हम ने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह.....राज्य में के.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है । उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध उस निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन को हस्ताक्षरित करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

स्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्यक्षेत्र में लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

1	2	3	4	5	6
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
*आदि					

*कम से कम दस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए ।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	क्या लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

1	2	3	4	5	6
14.					
15.					
*आदि					

*कम से कम दस निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए ।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख.....

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)/समर्थक.....(नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित संलग्न की, जिनका

(1)

(2)

होना तात्पर्यित है, सहित पृष्ठांकित किया गया ।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने, इस नामनिर्देशन-पत्र को, नीचे दिए गए कारणों से, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन, नामंजूर कर दिया है :—

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर]

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर

[] यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

(छिद्रण).....

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०
.....(नाम) का, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक..... (नाम) समर्थक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा..... (तारीख) को (बजे)..... (स्थान) में की जाएगी ।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र को, नीचे दिए गए कारणों से, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :—]

.....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

[] यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

प्ररूप 3

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम, संसद् सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में.. को नामनिर्देशित करते हैं ।

(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह..... राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है ।

उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध उस निर्वाचक नाम को प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। हम इसके नीचे यथा उपदर्शित अपनी पूरी विशिष्टियां देते हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :—

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
*आदि					

*कम से कम पांच निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

1	2	3	4	5	6
8.					
9.					
10.					

*आदि

*कम से कम पांच निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए ।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं ।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में..... (तारीख) को (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक..... (नाम)/ समर्थक (नाम) द्वारा यथा उपदर्शित संलग्नकों सहित, जिनका :

(1)
(2)

होना तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया—

.....

तारीख रिटर्निंग आफिसर

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने, इस नामनिर्देशन-पत्र को, नीचे दिए गए कारणों से, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन, नामंजूर कर दिया है :—

.....

तारीख रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :—

.....

तारीख रिटर्निंग आफिसर

[] यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

(विवरण)

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० (नाम) का, जो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) समर्थक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया था ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (तारीख) को (बजे) (स्थान) में की जाएगी ।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र को, नीचे दिए गए कारणों से, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :—]

.....

रिटर्निंग आफिसर

तारीख

[] यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

प्ररूप 4

[नियम 5 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर,

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन ।

..... (पता) का मैं (नाम) जो कि ऊपर कहे गए निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं ।

स्थान

तारीख

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण—अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6 (1) के अधीन, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है ।

प्ररूप 5

(नियम 6 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम० सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान.....

तारीख.....

.....

रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 6

(नियम 20 देखिए)

भाग 1—मतपत्र लेखा

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

मतदान के स्थान का नाम.....

	क्रम संख्यांक	कुल संख्या
1. प्राप्त मतपत्र	से तक	
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र		
3. मतदाताओं को दिए गए मतपत्र		
4. रद्द किए गए मतपत्र		

तारीख.....

.....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2—गणना का फल

(नियम 32 देखिए)

(1) मतदान के स्थान में उपयोग में लायी गयी मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....

(2) इस भाग में मद (1) के सामने यथादर्शित कुल संख्या के और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या, जिसमें से भाग 1 की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बीच कोई अन्तर, यदि हो।

.....

तारीख

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

[नियम 35 (1) (ग) देखिए]

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम गणना में प्राप्त मत	प्रथम अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़	द्वितीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 5 और 6 का जोड़	तृतीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 7 और 8 का जोड़	चतुर्थ अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 9 और 10 का जोड़				
निश्शेषित मत														
जोड़														

————————मतों के सूचक विधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या————————

————————मतों के सूचक अविधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या————————

मैं घोषित करता हूं कि

(नाम) ————————————

(पता) ————————————

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान ————————

तारीख ————————

————————

रिटर्निंग आफिसर

अनुसूची

(नियम 33 देखिए)

परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1. इस अनुसूची में --

(1) "बने रहने वाला अभ्यर्थी" पद से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं हुआ है ;

(2) "प्रथम अधिमान" पद से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाया गया अंक 1 अभिप्रेत है, इसी प्रकार "द्वितीय अधिमान" से अंक 2, "तृतीय अधिमान" से अंक 3 और इसी प्रकार आगे अभिप्रेत है ;

(3) "अगला उपलभ्य अधिमान" पद से, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए लगातार, संख्याक्रम में अभिलिखित द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिप्रेत है, तत्पूर्व अपवर्जित किए जा चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानों को गिनती में नहीं लिया जाएगा ;

(4) "अनिश्चेषित पत्र" पद से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ;

(5) "निश्शेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु पत्र को ऐसी दशा में निश्शेषित समझा जाएगा जिसमें कि--

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं ; अथवा

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बना रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक बाद का अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिह्नित है ।

2. हर एक गणना में हर मतपत्र--

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नियम 30 के अधीन यथा अवधारित मतों की संख्या का, और

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, एक मत का,

सूचक है ।

3. हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या आकलित कर दीजिए ।

4. सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसे आकलित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए । इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है ।

5. यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अन्त में किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतों की कुल संख्या कोटा के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है ।

6. यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो—

(क) उस क्रम तक मतों की सबसे कम संख्या जिस अभ्यर्थी के नाम आकलित है उसे अपवर्जित कीजिए ;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में के सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप-पार्सलों में के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए; हर एक उप-पार्सल में के मतों की संख्या गिनिए और उसे उस अभ्यर्थी के नाम आकलित कीजिए जिसके लिए ऐसा अधिमान अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक् उप-पार्सल बनाइए ; तथा

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने ऐसे अन्तरण और उसके नाम में आकलन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है ।

जब कोई अभ्यर्थी ऊपर के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाता है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सब से नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने अधिमान मतों की सबसे कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लाट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उसमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा ।

ऊपर के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अन्तिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

[सं० फा० 7(10)/74-वि० 2]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF P